बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सकारण आदेश

सं0सं0–9 / आ0–01–66 / 2003(स्वा0) ..... / पटना, दिनांक .....

डॉ0 रामावतार प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, रोहतास को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एव प्राप्त आवटन से कई गुणा ज्यादा 3,51,67,738 / – का क्रयादेश एम०एस०डी० को भेजने के आराप मे विभागीय अधिसूचना सं0–700(18) दिनांक–11.07.1998 द्वारा निलंबित किया गया। उनके विरूद्ध विभागीय सकल्प सं0–1216(18) दिनांक–26.07.1996 द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गयी। विभागीय अधिसूचना सं0–576(18) दिनांक–03 04.1999 द्वारा डा0 प्रसाद को निलंबन मुक्त किया गया। डा0 प्रसाद को प्रमाणित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–936(3) दिनांक–26.07.2002 द्वारा सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया।

2. डा0 प्रसाद द्वारा अधिरोपित एवं ससूचित शास्ति के विरूद्ध समादेश याचिका सं0–13816 / 2002 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–14.10.2003 को पारित आदेश में डा0 प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही मे निहित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण बर्खास्तगी आदेश को खारिज कर दिया गया।

3. विभागीय अधिसूचना स0–1290(9) दिनांक–16.12 2003 द्वारा डा0 प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित एव ससूचित सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को खारिज किया गया। साथ ही दिनांक–01 11 2003 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत करते हुए दिनाक–01 11 2003 से 15 12.2003 तक की अवधि को पदस्थापन की प्रतीक्षा में बिताई गयी अवधि माने जाने का निर्णय संसूचित करते हुए उन्हें पुन निलंबित कर दिया गया।

4. विभागीय अधिसूचना सं0–501(9) दिनांक–16.04.2004 द्वारा डॉ० प्रसाद को सेवानिवृति की तिथि (दिनाक–29.02 2004) से निलबन मुक्त किया गया। संशोधित सकल्प सं0–642(9) दिनांक–22 05.2004 द्वारा डा0 प्रसाद के विरूद्ध सचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेशन नियमावली,1950 के नियम–43(ख) के अधीन सम्परिवर्तित किया गया।

5. विभागीय पत्रांक–661(9) दिनाक–25 05 2004 द्वारा लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण–पृच्छा) की मॉग की गयी है। उनके द्वारा दिनांक–28 09.2005 को प्रत्युत्तर समर्पित किया गया। विभाग स्तर पर सम्यक समीक्षोपरात विभागीय अधिसूचना स0–202(9) दिनांक–27 02 2006 सह पठित अधिसूचना सं0–89(9) दिनाक–25.01 2007 द्वारा शत प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

6. डा0 प्रसाद द्वारा उक्त ससूचित शास्ति के विरूद्ध समादेश याचिका सं0–5034 / 2006 दायर किया गया, जिसमे दिनांक–11.07.2008 को आदेश पारित करते हुए 05 (पॉच) प्रतिशत पेंशन की राशि जब्त करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील वाद सं0–987 / 2008 दायर किया गया है, जिसमे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–02 02 2010 को पारित आदेश मे डा0 प्रसाद के विरूद्ध दण्ड के बिन्दुओ पर नये सिरे से निर्णय लेने का आदेश दिया गया। फलत विभागीय अधिसूचना स0–1437(9) दिनांक–15.12 2010 द्वारा डा0 प्रसाद के विरूद्ध शत प्रतिशत जब्त की गयी पेशन की राशि को निरस्त करते हुए 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पेंशन की राशि को जब्त करने का निर्णय ससूचित किया गया।

7. विभागीय अधिसूचना स0–1437(9) दिनाक–15 02.2010 द्वारा अधिरोपित की गयी शास्ति के विरूद्ध डा0 प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे समादेश याचिका स0–12527 / 2021 दायर किया गया, जिसमे दिनाक–11 09.2025 को पारित आदेश की कार्यकारी अश निम्नवत है–

it could safely be formulated that the authorities are bestowed with certain responsibility under law and, if punishment of forfeiture or any punitive order causing financial loss to the delinquent is intended to be passed, in that event, complete procedures, as prescribed under the Rules, needs to have been followed, which evidently has not been carried out and therefore, the

(15)

impugned order of forfeiture to the extent of 75% pension is wholly unsustainable and accordingly, is set aside and the respondents are directed to immediately release the amount, which is said to have been withheld by them to the widow lady of the deceased employee, who is the petitioner in this case, without any inordinate delay.

8. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका सं0–12527/2021 में दिनांक–11.09.2025 को पारित आदेश में विभागीय अधिसूचना सं0–1437(9) दिनांक–15.12.2010 द्वारा 75% (पचहत्तर प्रतिशत) पेशन की राशि को जब्त करने संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। तथा उक्त आदेश में कहा गया है कि डा0 प्रसाद का दिनांक–04.02.2021 को मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधवा पत्नी को प्रताडिता किया जाना उचित नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा विभाग को नये सिरे से विभागीय कार्यवाही करने का अवसर नहीं दिया गया है।

9. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विषयगत मामले की सम्यक् समीक्षोपरान्त डॉ0 प्रसाद के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1437(9) दिनांक–15.12.2010 द्वारा अधिरोपित एवं संसूचित 75% (पचहत्तर प्रतिशत) जब्त की गयी पेशन की राशि को विमुक्त करने का विनिश्चय किया गया है।

10. अतएव डॉ0 रामावतार प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, शिवहर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–1437(9) दिनांक–15.12.2010 द्वारा अधिरोपित एव संसूचित 75% (पचहत्तर प्रतिशत) जब्त की गयी पेशन की राशि को विमुक्त किया जाता है।

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–01–66/2003(स्वा0) 594(9) **/पटना, दिनांक** 11.06.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/सबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, पटना/रोहतास को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–श्रीमती वीणा प्रसाद, पत्राचार का पता–W/o डा0 रामावतार प्रसाद 3एसएफबी–1/34 भूतनाथ रोड, एस बी आई एटीएम बी एच कॉलोनी, पटना, बिहार–800026 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/06/2026
सरकार के अवर सचिव।